न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 72 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
प्रभुलाल पुत्र श्री हंसराज उम्र 75 वर्ष जाति राजपुराहित निवासी रेल्वे स्टेशन समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. इस्माईल खां पुत्र नत्थुखां 2. चांद बाई पुत्री नत्थुखां 3. नवावखां मेदुखां 4. विसमिला पत्नी मेदुखां 5. स्व. उमरखा पुत्र केसुखां 5/1इकराम खां पुत्र उमरखा 5/2रूस्तमखां पुत्र उमरखां 5/3रसूलखां पुत्र उमरखां 5/4रोशनवानो पुत्री उमरखां 5/5सलीमखां पुत्र उमरखां 5/7गटु पुत्री उमरखां 5/8हलीमा पत्नी उमरखां 6. बसिरन पत्नी मानखां जातियान मुसलमान 7. हनुमान पुत्र गेबाजी 8. शंकर पुत्र गेबाजी जातियान माली 9. हबासखां पुत्र चान्दखां 10. अब्दुलखां पुत्र चान्दखां 11. अबदेखां पुत्र चान्दखां 12. इकबाल पुत्र मानखां 13. सतारखां पुत्र मानखां 14. आमीनखां पुत्र मानखां 15. बरकतखां पुत्र कादरखां जातियान मुलसमान 16. ओखाराम पुत्र पूनमजी 17. घेवरराम पुत्र वगताराम 18. मंगलाराम पुत्र वगताराम जातियान माली 19. स्वरूपसिंह पुत्र वागाराम जाति रावणा राजपूत 20. बरकतशाह पुत्र ताजनशाह 21. असरफखां पुत्र गफूरखां 22. नसीरखां पुत्र गफूरखां 23. लुकमानखां पुत्र गफूरखां 24. टीकूखां पुत्र मुनवरखां उर्फ मुन्नेखां 25. अफरोज पुत्र मुनवरखां उर्फ मुन्नेखां 26. पप्पुखां पुत्र मुनवरखां उर्फ मुन्नेखां 27. मेफुप बेवा मुनवरखां उर्फ मुन्नेखां जातियान मुसलमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	निवासी ग्राम सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 28. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 62/2012 बअनवान इस्माईलखां वगै. बनाम बरकतशाह वगै. में पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 23.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण संख्या 01 से 19 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम सिवाना में स्थित खेत खसरा संख्या 787 व 786 के. प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण की आराजी तक आने जाने हेतु खसरा संख्या 850, 851, 789 में से होकर रास्ता प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेता है, जिससे प्रार्थीगण को अवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेंटस ने मुझ खरीददार काबिज काश्तकार को पक्षकार ने बनाकर, मेरी पीठ पीछे कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर तथा कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपीलकर्ता व अन्य खातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं देकर प्रक्रिया विधि के आदेश की पांच की पालना न कर अवैध व अनुचित तरीके से अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनरथ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब कर दी गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर हल्का पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदातागण से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि प्रार्थीगण के द्वारा लम्बे समय से उक्त निर्णय की पालना नहीं करवाकर मात्र समय जाया करते रहे ताकि अपीलकर्ता को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सके तथा पांच वर्ष से उक्त निर्णय को दबाये रखा ताथा उक्त निर्णय में मै अपीलकर्ता पक्षकार तक नहीं, न ही उक्त निर्णय से मैं बाधित हूं। हाल ही मे हल्का पटवारी मौके पर आकर उक्त आदेश की जानकारी दी जिस पर मैने नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2019 को प्रस्तुत किया जो नकले मुझे दिनांक 24.12.2019 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन किया। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु इससे कम दूरी के रास्ते का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 24.01.2014 में स्पष्ट किया गया है कि "आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त खसरा नम्बर 787 को अन्य कोई रास्ता कटान नहीं लगता है तथा नहीं कोई चालू रास्ता मौके पर है।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 62/2012 बउनवान इस्माईलखां वगै. बनाम बरकतशाह वगै. में पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 को यथावत रखा जाता है।

(पुनित अपिलीनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर